न्यायालय में श्रीमान् म.प्र. राजस्व मण्डल (मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी) ग्वालियर म.प्र.

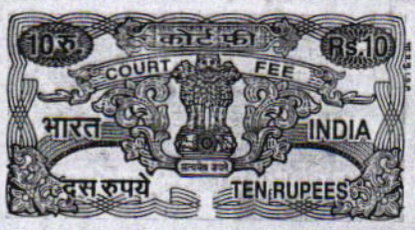

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा विचारपुर कोल माईन्स

जिला शहडोल म.प्र. ....अपीलार्थी

बनाम

1. कलेक्टर स्टाम्प, शहडोल

2. सब रजिस्ट्रार स्टाम्प एक्ट सोहागपुर

जिला शहडोल म.प्र. ....उत्तरदातागण

अपील अन्तर्गत धारा 44 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959

अपील विरूद्ध आयुक्त शहडोल संभाग के प्रकरण कमांक 80/ अपील /15–16 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2018

मान्यवर,

प्रार्थी अपीलार्थी अपील प्रस्तुत कर विनय करता है कि–

1. यह कि अपीलार्थी अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. को विचारपुर कोल माईंस जिला शहडोल म.प्र. में भारत सरकार कोल मंत्रालय नईदिल्ली के द्वारा नीलामी के माध्यम से कोयला उत्खनन करने हेतु कोल माईंस 30 वर्ष हेतु आवंटित हुई है। उक्त आवंटन के पश्चात म.प्र. शासन के द्वारा अपीलार्थी को अपने आदेश कमांक एफ3–22/2015/12/1 भोपाल दिनांक 17.06.2015 के माध्यम से निर्धारित प्रारूप–क में 6 माह के भीतर अनुबंध का निष्पादन कराये जाने हेतु आदेशित किया। उक्त आदेश के पश्चात उत्तरदातागण ने अपने पत्र दिनांक 24.06.2015 के माध्यम से उपपंजीयक जिला शहडोल म.प्र. को पत्र लेखकर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन की राशि के संबंध में जानकारी चाही, उत्तरदातागण के उपरोक्त पत्र के संबंध में कार्यालय उपपंजीयक सोहागपुर जिला शहडोल म.प्र. के द्वारा अपने पत्र कमांक/43/उ.प./2015 शहडोल दिनांक 02.07.2015 के माध्यम से खनिज अधिकारी शहडोल को खनिज की मात्रा 20.25 मिलियन 29 वर्षों की कुल रायल्टी राशि के संबंध में स्टाम्प शुल्क 14,85,54,000/– (चौदह करोड़ पचासी लाख चौवन हजार) रूपये एवं पंजीयन शुल्क 11,14,15,000/– (ग्यारह करोड़ चौदह लाख पंद्रह हजार) रूपये की जानकारी प्रेषित की जिस पर उत्तरदाता कमांक 01 के द्वारा अपने पत्र कमांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील-19/2019/शहडोल/भू.रा.

अल्ट्राटेक सीमेंट लिमि. विरूद्ध कलेक्टर स्टाम्प शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-04-2019	प्रकरण प्रस्तुत । अपीलार्थी अधिवक्ता श्री एस.के.बाजपेयी एवं शासकीय अधिवक्ता मुकेश भार्गव उपस्थित । यह अपील कमिश्नर शहडोल संभाग के आदेश दिनांक 10-12-18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । कमिश्नर का आदेश स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत है, जबकि यह अपील भू-राजस्व संहिता की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । अपीलार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्हें यह अपील स्टाम्प अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तुत करने के की अनुमति देते हुए वापिस की जाये । शासकीय अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है । अत: आवेदन स्वीकार करके अपील तथा संलग्न दस्तावेज अपीलार्थी को मूलत: वापिस किये जाते है । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	